से इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते ,नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को ी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया ।। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के लोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3; 4, 5 व 6 क्रमशः दयालसिंह, समुमकंवर, सुशीलाकंवर, ज्ञानकंवर एवं तर कंवर ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा , 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क रा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर मल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना ायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डेक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 देवीसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 4.4515 हैक्टेयर में से रकबा 2.22575 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 202 रकबा 1.1736 हैक्टेयर में से रकबा 0.5868 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 296/3 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से रकबा 3.15655 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धनणी के खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 4.4515 हैक्टेयर में से रकबा 2.22575 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 202 रकबा 1.1736 हैक्टेयर में से रकबा 0.5868 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 296/3 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से रकबा 3.15655 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 क्रमशः दयालसिंह, समुमकंवर, सुशीलाकंवर, ज्ञानकंवर एवं अन्तर कंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

ाफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया ाया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner